झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

झारखण्ड राज्य में ''झारखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय'' की स्थापना एवं समावेश के लिए तथा उसे एक निजी विश्वविद्यालय की स्थिति प्रदान करने हेतु एवं उससे संबंध अनुषांगिक मामलों हेतु एक विधेयक ।

जबकि राँची में ''झारखण्ड राज्य खेल प्रोत्साहन समिति'' द्वारा प्रवर्तित ''झारखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय'' की स्थापना एवं समावेश लाभकारक/युक्तिसंगत है।

एतद् द्वारा भारतीय गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, झारखण्ड विधान-सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ**

1.1 यह अधिनियम ''झारखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय अधिनियम 2017'' कहलायेगा।

1.2 इसका प्रसार-विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

1.3 यह उस तिथि से प्रवृत होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नियत किया जाय।

2. **परिभाषा**

2.1 इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

2.2.1 ''शैक्षणिक परिषद्'' का अर्थ, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद से है, जो अधिनियम कि धारा 22 में वर्णित है;

2.2.2 ''वार्षिक प्रतिवेदन'' का आशय, विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन से है, जो अधिनियम कि धारा 36 में वर्णित है;

2.2.3 ''प्रबंधन परिषद्'' का अर्थ, विश्वविद्यालय के प्रबंधन परिषद से है, जो अधिनियम कि धारा 21 में वर्णित है;

2.2.4 ''परिसर'' का आशय, विश्वविद्यालय के क्षेत्रफल से है, जहाँ यह अवस्थित है

2.2.5 ''कुलाधिपति'' का आशय, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है, जो अधिनियम कि धारा 12 के अधीन नियुक्त होंगे;

2.2.6 ''मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी'' का अर्थ, विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी से है, जो अधिनियम कि धारा 16 के अधीन होंगे;

2.2.7 ''परीक्षा नियंत्रक'' का अर्थ, विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से है, जिनकी नियक्ति अधिनियम कि धारा 17 के अधीन हुई हो;

2.2.8 ''अंगीभूत महाविद्यालय'' से आशय, वैसे महाविद्यालय अथवा संस्थान से है, जो विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित हो ;

2.2.9 ''कर्मचारी'' से आशय, विश्वविद्यालय अथवा अंगीभूत महाविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी से है, तथा इसमें शिक्षक एवं अन्य कर्मी सम्मिलित है;

2.2.10 ''स्थायी निधि'' से आशय, विश्वविद्यालय की स्थायी निधि से है, जिसकी स्थापना अधिनियम कि धारा 34 के अधीन हुई हो;

2.2.11 ''संकाय'' से आशय, समान अनुशासनों से शैक्षणिक विभाग के समूह से है;

2.2.12 ''शुल्क'' से आशय, विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन एवं प्रसंगाधीन कार्य हेतु विद्यार्थियों से ली गयी राशि से है;

2.2.13 ''सामान्य निधि'' से आशय, विश्वविद्यालय के सामान्य निधि से है, जिसकी स्थापना अधिनियम कि धारा 35 के अधीन हुई हो;

2.2.14 ''शासी निकाय'' का अर्थ, विश्वविद्यालय के शासी निकाय से है, जिसका गठन अधिनियम कि धारा 20 की अधीन हुआ हो;

2.2.15 ''राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रमाणन'' से आशय, विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रमाणन परिषद, बैंगलूरू से है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्व संस्थान है;

2.2.16 ''विहित'' का अर्थ अधिनियम के अन्तर्गत विहित परिनियम और नियमावली से है;

2.2.17 'कुल सचिव' का अर्थ, विश्वविद्यालय के कुल सचिव से है तथा जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-15 के तहत हुई हो;

2.2.18 'नियामक निकाय' का आशय, भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के शैक्षणिक स्तर के सुनिश्चयन हेतु मानकों एवं शर्तों के निर्धारण के लिए स्थापित निकाय, यथा- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध परिषद् आदि तथा इसके अलावा सरकार अथवा कोई वैसे निकाय, जो भारत सरकार अथवा कोई वैसा निकाय, जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया हो;

2.2.19 'नियमावली' से आशय, इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित विश्वविद्यालय की नियमावली से है;

2.2.20 'अनुसूची' का अर्थ, इस अधिनियम के तहत् संलग्न अनुसूची से है;

2.2.21 विश्वविद्यालय से संबंधित प्रायोजक निकाय का अर्थ है -

2.2.22.1 सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत झारखण्ड राज्य खेल संवर्द्धन सोसाईटी।

2.2.22 'राज्य सरकार' से आशय, झारखण्ड की राज्य सरकार से है; जो प्रधान सचिव / सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा प्रतिनिधित्व हों।

2.2.23 ''परिनियम'' अध्यादेश एवं विनियम से आशय, विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम से है, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई है;

2.2.24 ''विश्वविद्यालय के विद्यार्थी'' से आशय, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए, जिसमें अनुसंधान उपाधि सम्मिलित है, पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने हेतु विश्वविद्यालय में नामांकित हो;

2.2.25 ''शिक्षक'' से आशय, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर अथवा इस तरह के अन्य व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय या अंगीभूत महाविद्यालय या संस्था से है, शिक्षण में निर्देशित अथवा शोध कार्य संचालन हेतु उपाधि, सम्मिलित है, पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने हेतु विश्वविद्यालय में नामांकित हो; इसमें अंगीभूत महाविद्यालय संस्थान जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम/शर्तों के अधीन संचालित हो के प्राचार्य भी सम्मिलित है।

2.2.26 ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से आशय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है;

2.2.27 ''विश्वविद्यालय'' का अर्थ, इस अधिनियम के अन्तर्गत झारखण्ड में स्थापित झारखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय से है;

2.2.28 ''कुलपति'' से आशय, विश्वविद्यालय के कुलपति से है तथा जिनकी नियुक्ति इस अधिनियम की धारा - 13 के तहत् हुई हो;

2.2.29 ''विजिटर'' /''अतिथि'' /''आगंतुक'' से आशय, विश्वविद्यालय के ''विजिटर'' /''अतिथि'' / ''आगंतुक'' से है तथा जो इस अधिनियम की धारा - 10 में वर्णित है।

3. **विश्वविद्यालय की स्थापना -**

3.1 विश्वविद्यालय की स्थापना 'झारखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय' के नाम से होगी।

3.2 विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत होगा तथा यह राँची में अवस्थित होगा।

3.3 राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के बाद ही खेल विश्वविद्यालय का संचालन आरंभ किया जायेगा।

3.4 इस अधिनियम की अनुसूची 'ए' में सम्मिलित प्रावधानों को खेल विश्वविद्यालय निर्धारित समयावधि में पूरा करेगा।

3.5 विश्वविद्यालय के शासी निकाय, प्रबंधन समिति, शैक्षणिक परिषद्, कुलाधिपति, कुलपति, कुल सचिव, शिक्षक, मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी

या सदस्य या प्राधिकार एतद् विश्वविद्यालय के नाम से गठित निकाय बनाएगे; जब तक वे इस पद पर हैं अथवा उनकी सदस्यता बनी रहेगी।

3.6 खेल विश्वविद्यालय एक असम्बद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा तथा जो विद्यार्थियों को उपाधि, डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु किसी अन्य महाविद्यालय या संस्थान को संबद्ध नहीं कर सकेगा।

3.7 ''झारखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय'' के नाम से एक निकाय होगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उसके पास सतत् उत्तराधिकार और सामान्य प्रतिज्ञा प्रमाणन तथा सम्पत्ति ग्रहण व उस पर आधिपत्य रखने तथा अनुबंध/संविदा पर देने अथवा कथित नाम से वाद चलाने या वाद करने का अधिकार होगा।

3.8 ''विश्वविद्यालय'' राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। बशर्ते की राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अनुदान या अन्य तरीके से इन कार्यों के लिए दे सकती है ;

3.8.1 शोध, विकास और अन्य गतिविधियों के लिए, जैसे राज्य सरकार के अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है अथवा

3.8.2 विशिष्ट शोध अथवा कार्यक्रम आधारित कोई गतिविधि के लिए वित्तीय सहायता दे सकती है;

4. **विश्वविद्यालय की सम्पत्ति एवं इसके अनुप्रयोग:-**

4.1 विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहित भूमि, भवन और अन्य सम्पतियाँ किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं होगी सिवा जिस उद्देश्य के लिए वे अधिग्रहित की गयी है।

4.2 विश्वविद्यालय की चल अथवा अचल सम्पतियों का प्रबंधन शासी निकाय द्वारा विनियमों में प्रदत्त रीति के अनुरूप किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जायेगा।

5. **विश्वविद्यालय के निबंधन/अवरोध और बाध्यताएँ:-**

5.1 विश्वविद्यालय के खेल में व्यवसायिक पाठ्यक्रम, यथा खेल औषधि, योगा आदि के लिए शिक्षण-शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समय समय पर नियामक निकाय, के पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

5.2 विश्वविद्यालय में प्रवेश-नामांकन पूरी तरह योग्यता के आधार पर होगा। विश्वविद्यालय में नामांकन की योग्यता का निर्धारण प्राप्तांक या अर्हता परीक्षा में प्राप्त ग्रेड और पाठ्येतर और अतिरिक्त पाठ्यचर्या क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या समान पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगठन द्वारा या राज्य के किसी एजेन्सी द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जायेगी।

5.3 विश्वविद्यालय के पूरी छात्र क्षमता का कम से कम पाँच प्रतिशत छात्रों को मेधा छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।

5.4 विश्वविद्यालय, विद्यार्थियों की कुल संख्याओं में से झारखण्ड राज्य के मूल निवासियों के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान अनिवार्य रूप से करेगी।

5.5 विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर पदों के कम से कम पचास प्रतिशत शिक्षकेत्तर पदों को झारखण्ड राज्य के मूल निवासी के लिए आरक्षित करने का प्रावधान होगा। सीटों के आरक्षण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय-समय पर जारी आदेशों के द्वारा किया जाएगा।

5.6 विश्वविद्यालय के अकादमिक स्तर को बनाए रखने के लिए यथेष्ट/पर्याप्त संख्या में शिक्षकों एवं अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन शिक्षकों या अधिकारियों की योग्यता प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा निर्धारित मानक से निम्न न हो।

5.7 विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम सूचनाएँ विद्यार्थियों एवं अन्य स्टेक होल्डर के हित में सार्वजनिक करनी होगी, जैसे कि संचालित पाठ्यक्रम, अलग-अलग कोटि (श्रेणी), के तहत् सीटें, शुल्क एवं अन्य परिव्यय, प्रदत्त सहूलियतें एवं सुख सुविधाएँ,उपलब्ध संकाय/प्राध्यापक वर्ग एवं अन्य प्रासंगिक सूचनाएँ।

5.8 परिनियमों में वर्णित रीति के अनुरूप विश्वविद्यालय प्रत्येक अकादमिक वर्ष में उपाधि, डिप्लोमा प्रदान करने एवं अन्य उद्देश्य से दीक्षांत समारोह आयोजित कर सकेगा। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उपाधियों/डिप्लोमा प्रदान करने या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति से आयोजित किया जायेगा।

5.9 विश्वविद्यालय को स्थापना के प्रदत्त पाँच वर्षों के भीतर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) से प्रत्यायन प्राप्त करना होगा और भारत सरकार की अन्य नियामक संस्थाएँ, जो विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों से संबंध हैं, के द्वारा प्रदत्त ग्रेड की सूचना राज्य सरकार को देनी होगी। विश्वविद्यालय को समय-समय पर ऐसे प्रत्यायन का नवीकरण करना होगा।

5.10 इस अधिनियम में वर्णित कोई भी अंश जबतक अन्यथा/आवश्यक उल्लिखित ना हो, विश्वविद्यालय सिड्यूल - A में उल्लिखित शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगी तथा भारत सरकार या राज्य सरकार के नियामक संस्था द्वारा स्थापित सभी नियम, परिनियम तरीके को मानेगी एवं ऐसी अन्य संस्था को अपने कत्र्तव्यों के निर्वहन करने के लिए आवश्यक सभी सुविधा/सहयोग प्रदान करेगी।

6. **विश्वविद्यालय के उद्देश्य - विश्वविद्यालय के निम्न उद्देश्य है -**

6.1 शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान के ज्ञान को विकसित करना, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से विकसित शैक्षणिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा खेल प्रशिक्षण की उन्नत तकनीकी को भी प्रदान करना तथा जिसमें सैद्धांतिक जानकारी, व्यवहारिक प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाना तथा जिससे

विशेषज्ञता का सृजन हो, शारीरिक शिक्षण में संवर्द्धन प्रदान करना एवं खेल के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।

6.2 शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान, खेल तकनीकी के क्षेत्र में हर स्तर पर ज्ञान, कौशल और क्षमता की अभिवृद्धि करना तथा सभी तरह के खेल विधाओं, गेम्स में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना।

6.3 शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान के क्षेत्र में उच्च दक्षता प्राप्त नायकों को तैयार करना खेल तकनीकी तथा सभी खेलों में उच्च स्तरीय प्रदर्शन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

6.4 शारीरिक शिक्षण एवं क्रीड़ा विज्ञान, खेल तकनीकी एवं सभी खेलों में उच्च उपलब्धि परक प्रशिक्षण देने के लिए अग्रणी स्रोत केन्द्र के रूप में स्थापित करना।

6.5 शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल तकनीकी एवं उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण सभी खेलों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संयोजन/सहयोग प्रदान करना।

6.6 शारीरिक शिक्षण, खेल विज्ञान, तकनीकी एवं उच्च स्तरीय प्रदर्शन प्रशिक्षण सभी खेलों में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिये विद्यालयों/महाविद्यालयों, खेल एवं मनोरंजन संस्थाओं, खेल संस्थानों, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान के शोध एवं प्रशिक्षण संस्थाओं एवं अन्तर्राष्ट्रीय संघों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना।

7. **विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग, रंग, पंथ अथवा मत से परे सबके लिए खुला होगा -**

किसी भी व्यक्ति के साथ विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय अथवा उसके किसी अन्य प्राधिकार की सदस्यता से अथवा किसी डिग्री, डिप्लोमा अथवा अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य पाठ्यक्रम में नामांकन से लिंग, मत, वर्ग, जाति, जन्म के स्थान और धार्मिक विश्वास अथवा राजनीतिक या अन्य मत के आधार पर पक्षपात या भेदभाव नहीं किया जाएगा।

8. **विश्वविद्यालय के कार्य एवं शक्तियाँ -**

8.1 विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं प्रबंधन, इसके अंगीभूत महाविद्यालय की स्थापना, प्रशासन एवं प्रबंधन तथा शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण केन्द्रों का विस्तार एवं सतत् शिक्षा, दूरस्थ अधिगम एवं ई-लर्निंग के विस्तार एवं पहुँच को, झारखण्ड राज्य में अवस्थित इसके परिसर में संचालन व प्रबंधन करना;

8.2 खेल विज्ञान एवं शिक्षा, प्रबंधन एवं खेल विषय से संबंधित अन्य क्षेत्रों में शोध, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, शिक्षण - प्रशिक्षण, सतत् शिक्षा, दूरस्थ अधिगम एवं ई-लर्निंग के संसाधनों को उपलब्ध करना;

8.3 शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणादायक प्रयोग, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्थाओं के साथ सहयोग एवं वैसी संस्थाओं को संयुक्त कार्यक्रमों का प्रस्ताव देना जिससे खेल शिक्षा प्रदान करने एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित एवं प्राप्त किया जा सके;

8.4 खेल शिक्षा प्रदान करने में लचीलापन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एवं शिक्षा प्रणाली में इलेक्ट्रोनिक अधिगम विहित करना;

8.5 किसी व्यक्ति को खेल विश्वविद्यालय द्वारा तय शर्तों के साथ उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण - पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान करने हेतु परीक्षा/जाँच का आयोजन करना अथवा विनियमों में वर्णित तरीके से उस उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण - पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टता या नाम को वापस लेना;

8.6 फेलोशिप (शिक्षावृति), छात्रवृति, पदक और पुरस्कार निर्धारित एवं प्रदान करना;

8.7 परिनियम में वर्णित तरीके के अनुरूप मानद उपाधि या अन्य विशिष्टता प्रदान करना;

8.8 अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में आवश्यक सहायता के लिए स्कूल, केन्द्र, खेल संस्थान, खेल महाविद्यालय की स्थापना करना और खेल विश्वविद्यालय के मतानुसार खेल से संबंधित कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों का आयोजन करना;

8.9 शोध, शिक्षण सामग्री एवं अन्य कार्यों के लिए मुद्रण, प्रकाशन एवं पुनरूत्पादन करना एवं प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना;

8.10 खेल ज्ञान संसाधन केन्द्र की स्थापना करना;

8.11 खेल प्रौद्योगिकी, शिक्षा प्रबंधन एवं खेल से संबंध अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रायोजन एवं दायित्व वहन करना;

8.12 समान उद्देश्यों के किसी शैक्षिक संस्थान के साथ सहयोग व सम्बद्धता;

8.13 खेल विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आभासी (वर्चुअल) परिसर समेत परिसरों की स्थापना;

8.14 शोध कार्य आरम्भ करना तथा ऐसे शोध के लिए सक्षम प्राधिकारों से पेटेन्ट, योजना अधिकारों एवं ऐसे समान अधिकारों की प्रकृति के पंजीकरण प्राप्त करना;

8.15 विश्वविद्यालय के आंशिक अथवा पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विश्व के किसी भी हिस्से के शैक्षिक एवं अन्य संस्थानों, विश्वविद्यालयों के साथ विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों का अदान-प्रदान के द्वारा अनुकूल एवं स्वीकार्य तरीके से एवं सहयोग सामंजस्य स्थापित करना;

8.16 अनुसंधान, प्रशिक्षण, परामर्श तथा इस प्रकार की अन्य सेवाएँ देना, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो;

8.17 शिक्षकों, शोधार्थियों, प्रशासकों एवं खेल विशेषज्ञों एवं खेल प्रबंधन प्रोद्यौगिकी तथा अन्य संबंद्ध क्षेत्रों के विशोषज्ञों के बीच विश्वविद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संबंध बनाना एवं विकसित करना;

8.18 महिलाओं एवं अन्य वंचित विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यथासंभव वांछनीय विशेष व्यवस्था करना;

8.19 खेल विश्वविद्यालय के व्यय का नियमन, वित्त का प्रबंधन एवं लेखा का रख-रखाव;

8.20 विश्वविद्यालय के उद्देश्यों एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यवसाय, उद्योग, समाज के अन्य वर्गो, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठनों अथवा किसी अन्य स्रोत से

उपहार, दान, उपकार या वसीयत के रूप में हस्तांतरण द्वारा निधि, चल एवं अचल सम्पत्ति, उपस्कर, साफ्टवेयर एवं अन्य संसाधनों को प्राप्त करना;

8.21 विद्यार्थियों के लिए सभागार, छात्रावास एवं शिक्षकों तथा कर्मचारियों के निवास के लिए आवास का निर्माण, रख-रखाव एवं व्यवस्था करना;

8.22 खेल-सह-पाठ्यचर्या एवं अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों की संवर्द्धन के लिए बड़े कमरों, सभागारों, भवनों, स्टेडियमों का निर्माण, प्रबंधन तथा रख-रखाव करना;

8.23 खेल विश्वविद्यालय के अधिवासी विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों में अनुशासन बनाये रखना और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन, संवर्द्धन हेतु आवास का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना;

8.24 परिनियम द्वारा निर्धारित फीस एवं अन्य शुल्क निर्धारित करना तथा वसूली/प्राप्ति करना;

8.25 फेलोशिप (शोधवृति), छात्रवृति, पुरस्कार, पदक एवं अन्य पुरस्कारों की संस्थापना एवं प्रदान करना;

8.26 विश्वविद्यालय, आवश्यकता या उद्देश्य पूर्ति हेतु किसी भूमि या भवन को खरीदने, पट्टे पर लेने या उपहार व वसीयत या अन्य तरीके से उपयोग हेतु प्राप्त कर सकेगा और यह उन नियमों व शर्तों के रूप में स्वीकार्य हो सकता है, जिसे किसी भवन को बनाने या कार्य करने, उसमें परिवर्तन करने और रख-रखाव हेतु उचित समझे;

8.27 विश्वविद्यालय के हित, उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मान्य तरीके से विश्वविद्यालय की चल या अचल सम्पत्ति या उसके किसी अंश को झारखण्ड राज्य खेल प्रोत्साहन समिति (J.S.S.P.S) के परामर्श से बेचना, विनिमय करना, पट्टा या अन्य तरीके से प्रबंधित करना;

8.28 विश्वविद्यालय के सभी खर्चों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की निधि को संवर्द्धित करना, अनुबंध (बोन्ड) पर उधार लेना, बंधक, वचनपत्र नोट या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों की वृद्धि करना या सम्पूर्ण अथवा विश्वविद्यालय की किसी संपत्ति और परिसम्पत्ति अथवा बिना किसी प्रतिभूति और मान्य नियमों और शर्तों के अनुरूप व्यवस्थित एवं संवर्द्धित करना;

9. **सम्बद्धता के निषेधः-**

9.1 विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता लेने के विशेषाधिकार को स्वीकार नहीं करेगा।

9.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा स्थापित ऐसे अन्य नियामक निकायों अथवा केन्द्र या राज्य सरकार, जैसा भी हो, के पूर्व स्वीकृति के पश्चात् विश्वविद्यालय अपने परिसर के अलावा कोई दूरवर्ती परिसर, अध्ययन केन्द्र एवं परीक्षा केन्द्र झारखण्ड राज्य के अंदर या बाहर शुरू कर सकेगा।

9.3 दूरस्थ प्रणाली से पाठ्यक्रमों की शुरुआत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा स्थापित ऐसी नियामक संस्था की पूर्व स्वीकृति के उपरांत ही की जाएगी।

10. **आगंतुक (विजिटर):-**

10.1 झारखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के विजिटर (आगंतुक) होंगे।

10.2 आगंतुक (विजिटर) जब उपस्थित रहेंगे, तो डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा, चार्टर ओहदा (पदनाम) और प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

10.3 आगंतुक को विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सम्पोषित किसी संस्थान के शिक्षा के स्तर, अनुशासन, शिष्टाचार और समुचित क्रियाशीलता को बनाये रखने हेतु भ्रमण करने का अधिकार होगा।

11. **विश्वविद्यालय के अधिकारी:-**

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

(a) कुलाधिपति

(b) कुलपति

(c) कुल सचिव

(d) मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी

(e) परीक्षा नियंत्रक

12. **कुलाधिपति:-**

12.1 झारखण्ड राज्य खेल प्रोत्साहन समिति (J.S.S.P.S) के शासी निकाय के अध्यक्ष खेल विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होंगे।

12.2 कुलाधिपति पदेन रूप से विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे।

12.3 कुलाधिपति शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और जब आगंतुक (विजिटर) मौजूद नहीं रहेंगे तब उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा या अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

12.4 कुलाधिपति अपने हाथ से लिखित एवं प्रायोजक निकाय के प्रमुख को संबोधित करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे सकते है।

12.5 कुलाधिपति को निम्नलिखित अधिकार होंगे, यथा:-

(a) किसी भी जानकारी या अभिलेख की माँग करनाय

(b) कुलपति की नियुक्ति करनाय

(c) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कुलपति को कार्यमुक्त करना और

(d) इस अधिनियम या परिनियमों के द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियों का उपयोग करना

13. **कुलपति:-**

13.1 कुलाधिपति, कुलपति की नियुक्ति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप एवं प्रायोजक निकाय के सलाह पर करेंगे और ये पाँच साल की

अवधि के लिए अपने पद पर बने रहेंगे, परन्तु 70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपने पद से कार्यावधि के दौरान या विस्तारित कार्यकाल से सेवानिवृत हो जायेंगे।

परन्तु कुलपति प्रथम पाँच वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् भी अगले पाँच वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र हो सकते है।

13.2 कुलपति विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के मामलों में सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण करेंगे तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारों द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करेंगे।

13.3 आगंतुक (विजिटर) और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

13.4 कुलपति यदि इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी मामले पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है; तो वे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार का इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस प्राधिकार को संबद्ध मामले में उनके द्वारा कृत कार्रवाई की जानकारी दे सकते हैं।

बशर्ते कि विश्वविद्यालय का वह प्राधिकार या विश्वविद्यालय में सेवारत कोई अन्य व्यक्ति, जो कुलपति द्वारा कृत कार्रवाई से असंतुष्ट हो, तो वे इस उपधारा के तहत निर्णय के संप्रेषित होने की तिथि के एक माह के भीतर कुलाधिपति के समक्ष अपील कर सकता है। कुलाधिपति, कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई को सम्पुष्ट, संशोधित या परिवर्तित कर सकते है।

13.5 कुलपति अधिनियम के तहत् विनिर्दिष्ट अन्य शक्तियों और इस संबंद्ध अन्य कार्य निर्धारित दायरे में कर सकते हैं।

14. **कुलपति की पदच्युति:-**

14.1 कुलाधिपति को यदि किसी समय किसी जाँच के पश्चात आवश्यक लगे या प्रतीत हो कि कुलपति:-

(a) इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश के तहत प्रदत कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे हों, अथवा

(b) विश्वविद्यालय के हितो के विपरीत पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर कार्य किये हो, या

(c) विश्वविद्यालय के मामलों को सुलझाने में अक्षम हों, तो कुलाधिपति इस तथ्य के बावजूद कि कुलपति का कार्यालय पूरा नहीं हुआ है, लिखित कारण बताते हुए आदेश में निर्धारित तिथि से पद से इस्तीफा देने के लिए लिखित आदेश दे सकते है।

14.2 कुलपति को उपधारा (1) के तहत विशेष आधार पर कार्रवाई के किसी प्रस्ताव की बिना सूचना दिए और बिना कारण पृच्छा का अवसर दिये, कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

15. **कुलसचिव:-**

15.1 कुल सचिव प्रायोजक निकाय के अध्यक्ष द्वारा परिनियम में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किये जाएगें। कुल सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता धारक होंगे।

15.2 कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों, दस्तावेजों को अभिप्रमाणित करने, प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने तथा एकरारनामा करने की शक्ति होगी तथा वे ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों को पूरा करेंगे जो उनके लिए निर्दिष्ट किया गया हो।

15.3 कुल सचिव, कार्यकारी परिषद् एवं अकादमिक परिषद् के पदेन सदस्य सचिव होंगे लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

16. **मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारीः-**

16.1 प्रायोजक निकाय के अध्यक्ष द्वारा मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी, जैसा परिनियम में निर्दिष्ट हो।

16.2 मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी ऐसी शक्तियों को प्रयोग तथा दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे जैसा कि परिनियम में निर्दिष्ट है।

17. **परीक्षा नियंत्रकः-**

17.1 परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा परिनियम के अनुरूप प्रायोजक निकाय के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

17.1.1 परीक्षा नियंत्रक के कार्य होंगेः-

(a) अनुशासित एवं कुशल तरीके से परीक्षा संचालित करना

(b) सख्त गोपनीयता से प्रश्न-पत्रों का चयन एवं संकलन की व्यवस्था करना

(c) परीक्षाफल हेतु निर्धारित समय सारिणी के अंतर्गत उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था करना।

(d) परीक्षा-प्रणाली की निष्पक्षता और विषयनिष्ठा को उन्नत बनाने तथा विद्यार्थियों की योग्यता के अनुरूप आकलन की दृष्टि से बेहतर साधन अपनाने के लिए सतत् समीक्षा करना।

(e) कुलपति के द्वारा समय-समय पर सौंपे गए उन सारे दायित्वों का निर्वहन करना जो परीक्षा से संबंधित हों।

18. **अन्य अधिकारीः-**

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति उनके अधिकार कर्तव्यों का निर्धारण वैसा होगा, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया हो।

19. **विश्वविद्यालय के प्राधिकारः-**

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे, यथा -

(a) शासी निकाय

(b) कार्यकारी परिषद्

(c) शैक्षणिक परिषद्

(d) वित्त समिति

(e) वैसे अन्य सभी प्राधिकार, जो अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये गये हों।

20. **शासी निकायः**

20.1 शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा -

(a) कुलाधिपति

(b) कुलपति

(c) सरकार के प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड

(d) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सी०सी०एल०

(e) सरकार के प्रधान सचिव/सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड

(f) सरकार के प्रधान सचिव/सचिव योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड

(g) निदेशक, वित्त, सी०सी०एल०

(h) कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड खेल प्राधिकरण

(i) कुलाधिपति द्वारा झारखण्ड राज्य खेल प्रोत्साहन समिति की अनुशंसा पर नामांकित तीन सदस्य, जिसमें दो व्यक्ति खेल के क्षेत्र में प्रसिद्धि के होंगे

(j) कुलाधिपति द्वारा नामांकित एक सदस्य, जो प्रबंधन या तकनीकी क्षेत्र का विशेषज्ञ तथा वो विश्वविद्यालय के बाहर से होगा

(k) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, खेल मंत्रालय

(l) भारतीय ओलम्पिक संघ/भारतीय खेल प्राधिकरण/राष्ट्रीय खेल संस्थान अन्य महत्वपूर्ण निकायों से खेलकूद का एक विशेषज्ञ

(m) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर का एक प्रतिनिधि

20.2 शासी निकाय खेल विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकार एवं प्रधान शासी निकाय होगा। इसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, यथा -

(a) नियम, परिनियम, अधिनियम, अथवा अध्यादेश द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के कार्यो का सामान्य अधीक्षण करना, नियंत्रित, निर्देशित एवं संचालित करना

(b) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों के निर्णयों की समीक्षा करना यदि वे नियमों, अध्यादेशों, कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो

(c) विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन तथा बजट को अनुमोदित करना

(d) विश्वविद्यालय के अनुपालनार्थ विस्तारीकरण की नीतियों का निर्माण करना

(e) विश्वविद्यालय के विघटन के लिए प्रायोजक निकाय को अनुशंसा करना, यदि सम्पूर्ण प्रयास के बाद भी विश्वविद्यालय ठीक ढंग से कार्य सम्पन्न करने की स्थिति में नहीं हों

(f) परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।

20.3 शासी निकाय की बैठक में एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार होगी।

20.4 बैठक का कोरम चार होगा;

बशर्ते प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड सरकार या उनकी अनुपस्थिति में निदेशक, खेल, खेल निदेशालय प्रत्येक बैठक में उपस्थित हो, जिसमें की खेल विश्वविद्यालय की सरकारी नीतियों या निदेशों से संबंधित निर्णय लिये जाना हो।

21. **प्रबंध समितिः-**

21.1 प्रबंधन समिति निम्नलिखित सदस्यों के योग से गठित होगा, यथाः

21.1.1 कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष (अर्थात् सरकार के प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड)

21.1.2 सरकार के प्रधान सचिव/सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार अथवा उनके प्रतिनिधि।

21.1.3 मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी, स्थानीय प्रबंधन समिति (LMC), JSSPS

21.1.4 क्षेत्रीय निदेशक, साई कोलकाता

21.1.5 निदेशक, खेल, खेल निदेशालय, झारखण्ड, राँची

21.1.6 कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड खेल प्राधिकरण

21.1.7 JSSPS द्वारा प्रषासी निकाय के नामांकित दो सदस्य

21.1.8 निदेशक, वित्त, सी.सी.एल.

21.1.9 कुलसचिव

21.1.10 मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी

21.2 कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष, प्रबंधन बोर्ड के सभापति होंगे।

21.3 प्रबंधन बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य परिनियम मे जैसा निर्दिष्ट है के अनुरूप होगा।

21.4 प्रबंधन बोर्ड की बैठक का कोरम चार होगा।

22. **शैक्षणिक परिषदः**

22.1 अकादमिक परिषद् में कुलपति तथा वैसे सदस्य होंगे, जैसा परिनियम में निर्दिष्ट है।

22.2 अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष कुलपति होंगे।

22.3 अकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों के प्रावधानों के अधीन या विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों का समान्य पर्यवेक्षण तथा समन्वय करेगी।

22.4 अकादमिक परिषद् की बैठक का कोरम अधिनियम में उल्लेखित परिनियम के अनुरूप होगा।

23. **वित्त समितिः**

23.1 वित्त समिति विष्वविद्यालय की मुख्य वित्तीय निकाय होगी, जो वित्त संबंधी मामलों की देख-रेख करेगी।

23.2 वित्त समिति का संविधान, शक्तियाँ और कार्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

24. **अन्य प्राधिकार**

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों का गठन, शक्तियाँ तथा कार्य प्रावधान के अनुरूप होगा।

25. **किसी प्राधिकार अथवा निकाय की सदस्यता के लिए अयोग्यताः-**

वह व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय की सदस्यता के अयोग्य होगा, जो:-

25.1 अस्वस्थ मानस का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।

25.2 दिवालिया घोषित हो।

25.3 यदि नैतिक स्खलन (अधमता) के अपराध का दोषी पाया गया हो।

25.4 किसी परीक्षा के संचालन में किसी प्रकार या कहीं भी अनुचित व्यवहार करने अथवा प्रोत्साहित करने के लिए दंडित किया गया हो।

25.5 किसी नियोक्ता द्वारा बर्खास्त किया गया हो, हटाया गया हो या उसे दंड दिया गया हो।

26. **रिक्तियाँ विश्वविद्यालय के संस्थान प्राधिकार अथवा निकाय के गठन या कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगी:-**

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार का कार्य या कार्यवाही सिर्फ इस कारण अमान्य नहीं होगी, जो कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या संगठन में रिक्ति अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की संरचना में दोष के कारण हुआ हो।

27. **समितियों का गठनः-**

विश्वविद्यालय के प्राधिकार ऐसी शर्तो के साथ जो विशेष काम के लिए आवश्यक हों तथा जो परिनियमों द्वारा अनुमोदित हों, ऐसी समितियाँ का गठन कर सकेंगे।

28. परिनियम, अध्यादेश और विनियम:

28.1 प्रथम परिनियम:-

28.1.1 इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमो के अनुकूल पहला परिनियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी एक का निर्धारण करेगा, यथा:-

28.1.1.1 विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और अन्य निकायों के लिए समय- समय पर गठन, शक्तियों और कार्यवाहियों का निर्धारण।

28.1.1.2 कुलाधिपति, कुलपति की नियुक्ति की अर्हत्ता, शर्तो और उनकी शक्तियों तथा कार्यो का निर्धारण।

28.1.1.3 कुल सचिव और मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया और अर्हता/ शर्तो उनकी शक्तियों और कार्य का निर्धारण।

28.1.1.4 अन्य अधिकारियों तथा शिक्षकों की नियुक्ति की पद्धति, अर्हता, शर्तों तथा शक्तियों और कार्य का निर्धारण।

28.1.1.5 खेल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण।

28.1.1.6 कर्मचारियों अथवा विद्यार्थियों और खेल विश्वविद्यालय के बीच किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मध्यस्थता की प्रक्रिया का निर्धारण।

28.1.1.7 मानद उपाधियाँ प्रदान करना।

28.1.1.8 विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क में छूट, छात्रवृति तथा फेलोशिप प्रदान करने के लिए प्रावधान।

28.1.1.9 सीटों के आरक्षण/ प्रवेश (नामांकन) का नीति का निर्धारण तथा

28.1.1.10 विद्यार्थियों से लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण

28.2 विश्वविद्यालय का पहला परिनियम शासी निकाय द्वारा बनाया जाएगा और स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को समर्पित किया जाएगा।

28.3 खेल विश्वविद्यालय द्वारा समर्पित किए गए पहले परिनियम पर राज्य सरकार विचार करेगी और इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर इसकी स्वीकृति, संशोधनों अथवा बिना संशोधन के साथ जैसा वह आवश्यक समझे, देगी।

28.4 सरकार द्वारा स्वीकृत पहले परिनियम पर विश्वविद्यालय अपनी सहमति संप्रेषित करेगा अथवा राज्य सरकार द्वारा उप धारा-3 के अन्तर्गत किये गये किसी संशोधन या सभी संशोधनों को नहीं लागू करने का कारण बतायेगी। राज्य सरकार ऐसे कारणों पर विचार करने के बाद विश्वविद्यालय के सुझावों को मान्य या अमान्य कर सकती है।

28.5 राज्य सरकार ने पहले परिनियम को जिस रूप में अंततः स्वीकार किया है, उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी और यह प्रकाशन की तिथि से लागू माना जायगा।

29. **परवर्ती परिनियमः-**

29.1 इस अधिनियम और इसके बाद बनाये गये नियमों के तहत विश्वविद्यालय के परवर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी एक के बारे में व्यवस्था दे सकती है यथाः-

(a) खेल विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारों का सृजन।

(b) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया।

(c) खेल विश्वविद्यालय के प्राधिकारों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व।

(d) नए विभागों का निर्माण और वर्तमान विभागों का उन्मूलन अथवा पुर्नगठन

(e) पदकों और पुरस्कारों का निर्धारण

(f) पदों के निर्माण और विलोपन की प्रक्रिया

(g) शुल्क का पुनरीक्षण

(h) विभिन्न विषयों में सीटों की संख्या में बदलाव तथा

(i) अन्य सभी मामलों का परिनियम द्वारा निर्धारण, जो इस अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक हों।

29.2 पहले परिनियम से भिन्न विश्वविद्यालय के अन्य परिनियमो का निर्माण शासी निकाय की सहमति से प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

29.3 उप धारा (2) के अन्तर्गत निर्मित परिनियम को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे वह स्वीकृत करेगी अथवा यदि आवश्यक समझे तो संशोधन के लिए परामर्श, परिनियम की प्राप्ति की तिथि से यथासंभव दो महीने के भीतर देगी।

29.4 राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर शासी निकाय विचार करेगी और परिनियमों में किये गये संशोधनों पर सहमति देगी अथवा राज्य सरकार द्वारा सुझाये संशोधनों पर टिप्पणी के साथ उसे वापस कर देगी।

29.5 राज्य सरकार शासी निकाय द्वारा की गयी टिप्पणियों पर विचार करेगी तथा परिनियमों को बिना संशोधन अथवा संशोधनों के साथ स्वीकृत करेगी और इसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करायेगी जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

30. **प्रथम अध्यादेश:-**

30.1 इस अधिनियम के प्रावघानों के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों के तहत, प्रथम अध्यादेश सभी मामले या निम्नलिखित में से कोई एक अथवा सभी की व्यवस्था के लिए प्रावधानित किया जा सकता है, यथाः-

30.1.1 विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश और तदनुसार नामांकन

30.1.2 विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा एवं अन्य प्रमाण पत्रों के अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण

30.1.3 डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य अकादमिक प्रदान करने हेतु न्यूनतम योग्यता।

30.1.4 फेलोशिप, छात्रवृति, वजीफा, पदक और पुरस्कार प्रदान करने हेतु शर्तो

30.1.5 परीक्षा संचालन नियमों के अनुसार संचालक निकाय परीक्षकों तथा मध्यस्थों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं कर्तव्यों का निर्धारण।

30.1.6 विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमा के लिए खेल विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाने वाला शुल्क निर्धारण

30.1.7 खेल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवासन की शर्तें

30.1.8 विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कारवाई संबधी प्रावधान

30.1.9 विश्वविद्यालय के अकादमिक परिवेश की उन्नति के लिए आवश्यक किसी निकाय के सृजन संरचना और कार्य पर विचार

30.1.10 दूसरे खेल विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों (राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनो) एवं संस्थानों के साथ सहकारिता और सहयाग के तरीके,

30.1.11 ऐसे अन्य मामले जिनकी व्यवस्था अध्यादेश के द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक हो।

30.2 खेल विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश कुलाधिपति द्वारा बनाया जायगा जो शासी निकाय द्वारा अनुमोदन के बाद राज्य सरकार के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

30.3 उप धारा (2) के तहत राज्य सरकार कुलाधिपति द्वारा सौंपे गये अध्यादेश पर विचार करेगी और इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर वह इसे स्वीकृत करेगी या इसमें संशोधन हेतु सुझाव भी देगी।

30.4 कुलाधिपति अध्यादेश के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा दिये गये संशोधन के सुझावों को शामिल करेंगे अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये संशोधन के सुझावों को शामिल नहीं करने के कारण बताते हुए प्रथम अध्यादेश को वापस राज्य सरकार के पास भेजेंगे। राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के बाद कुलाधिपति की टिप्पणी पर विचार करेगी और संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी और यह प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

31. **परवर्ती अध्यादेश -**

31.1 प्रथम अध्यादेश के अलावा अन्य सभी अध्यादेश अकादमिक परिषद् द्वारा बनाये जाऐंगे जो शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाऐंगे।

31.2 उप धारा (1) के तहत अकादमिक परिषद् द्वारा सौपे गये अध्यादेश पर जहाँ तक सम्भव हो राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के दो माह के भीतर विचार करेगी और इसे स्वीकृत कर सकती है या इसमें संशोधन हेतु सुझाव दे सकेगी।

31.3 अकादमिक परिषद् या तो राज्य सरकार के सुझावों के अनुरूप अध्यादेश को संशोधित करेगी या राज्य सरकार के सुझावों को शामिल नहीं करने का कारण बताएगी और अध्यादेश को राज्य सरकार को पुनः वापस सौंपेगी। राज्य सरकार अकादमिक परिषद् की टिप्पणी पर विचार करेगी और अध्यादेषों को संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के स्वीकृत करेगी, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी और यह प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएगा।

32. **विनियमः**

खेल विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक प्राधिकार और ऐसे प्राधिकार द्वारा बनायी गयी समितियों के लिए शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति से इस अधिनियम के अनुकूल, नियम, परिनियमों और अध्यादेशों के संगत विनियम बना सकेगे।

33. **निर्देश देने के राज्य सरकार के अधिकारः**

33.1 शिक्षण, परीक्षा और शोध का स्तर तथा किसी अन्य मामले की जाँच करने के उद्देश्य से राज्य सरकार विश्वविद्यालय से संबंधित ऐसे लोगों के द्वारा जिन्हें वह उपयुक्त समझती है निर्दिष्ट तरीके से मुल्यांकन करा सकेगी।

33.2 राज्य सरकार ऐसे मूल्यांकन के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अपनी अनुशंसाएँ विश्वविद्यालय को संप्रेषित करेगी। विश्वविद्यालय ऐसे सुधारात्मक उपायों को अपना सकती है और इन अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी।

33.3 यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा की गई अनुशंसा का पालन करने में उचित समयावधि में विफल रहती है तो राज्य सरकार उसे उपयुक्त निर्देश देगी। राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऐसे निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय अविलंब करेगा।

विश्वविद्यालय की निधियाँ

34. **स्थायी (अक्षय) निधि:-**

34.1 उद्देश्य-पत्र में निर्दिष्ट राशि के अंतर्गत प्रवर्तक (प्रायोजक) निकाय खेल विश्वविद्यालय के लिए एक स्थायी कोष की स्थापना करेगा।

34.2 खेल विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम का अनुपालन तथा अधिनियम के परिनियम तथा अध्यादेशों के अनुसार संचालन को सुनिश्चित करने हेतु स्थायी निधि का उपयोग जमानत जमा राशि के रूप में होगा। यदि विश्वविद्यालय अथवा प्रवर्तक निकाय इन अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुकूल प्रावधानों का उल्लंघन करता है तब राज्य सरकार को यह पूरी राशि अथवा इसका एक हिस्सा/अंश जब्त कर लेने का अधिकार होगा।

34.3 विश्वविद्यालय इस स्थायी कोष से हुई आमदनी का उपयोग विश्वविद्यालय के आधारभूत संरचना के विकास के लिए कर सकेगा लेकिन इसे विश्वविद्यालय के दिनानुदिन खर्च पर व्यय नही करेगी।

34.4 विश्वविद्यालय के विघटन तक स्थायी कोष की राशि ऐसे साधनों में निवेशित की जाएगी जैसे कि सरकार द्वारा निवेश हेतु निर्धारित किया जाएगा।

34.5 दीर्घावधि की प्रतिभूति की स्थिति में प्रतिभूतियों का प्रमाण-पत्र सरकार के सुरक्षित संरक्षण में रखा जाएगा और सरकारी खजाने में ब्याज धारित व्यक्तिगत जमा खातों में जमा करने की स्थिति में शर्त यह होगी कि सरकार के आदेश के बिना यह राशि निकाली नहीं जा सकेगी।

35. **सामान्य निधि:-**

35.1 खेल विश्वविद्यालय एक कोष की स्थापना करेगा, जिसे सामान्य निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नांकित राशियाँ जमा होगी:-

35.1.1 खेल विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शिक्षण एवं अन्य शुल्क

35.1.2 प्रवर्तक निकाय द्वारा प्रदत्त कोई भी राशि

35.1.3 अपने लक्ष्य सिद्धि के क्रम में खेल विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य यथा-परामर्श आदि से प्राप्त आय:

35.1.4 न्यासों, वसीयतों, दान, वृत्तिदान और किसी भी अन्य प्रकार का अनुदान तथा

35.1.5 खेल विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सारी धनराशि।

35.2 सामान्य निधि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जाएगा, यथा-

35.2.1 इस अधिनियम और इसके अंतर्गत परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों एवंनियमों हेतु शाही निकास की पूर्व स्वीकृति के साथ खेल विश्वविद्यालय द्वारा लिए गये ऋण तथा उसके ब्याज के भुगतान हेतु:

35.2.2 खेल विश्वविद्यालय की परिसंपतियों के रख-रखाव हेतु ,

35.2.3 धारा 7 एवं 8 के अंतर्गत विनिर्मित निधियों के लेखा-परीक्षण के लिए भुगतान किया गया शुल्क,

35.2.4 खेल विश्वविद्यालय के पक्ष अथवा विपक्ष में दायर वादों पर हुए खर्च के निष्पादन हेतु ,

35.2.5 अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों गैर शैक्षाणिक कर्मियों एवं शोध-अधिकारियों के वेतन, भत्ते, भविष्य-निधि अंशदान, गैच्यूटी और अन्य लाभों के भुगतान हेतु,

35.2.6 प्रबंधन निकाय, कार्यकारी परिषद् एवं अकादमिक परिषद् के सदस्य, अन्य प्राधिकारों तथा प्रवर्तक निकायों के अध्यक्ष अथवा कुलाधिपति अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति के सदस्य द्वारा किये गये यात्रा-व्यय एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु,

35.2.7 फेलोशिप, निशुल्क शिक्षण, छात्रवृतियों, असिस्टेंटशिप तथा समाज के कमजोर आर्थिक वर्ग के छात्रों को दिये गये पुरस्कारों और शोध सहायकों प्रशिक्षुओं (जो भी हो) विधेयकों, परिनियमों एवं नियमों के अनुकूल किसी भी अर्हता प्राप्त विद्यार्थी के पुरस्कार के भुगतान हेतु

35.2.8 अधिनियम के प्रावधानों, परिनियामों, अध्यादेशों, विनियमों एवं नियमों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा व्यय की गयी किसी भी राशि के भुगतान हेतु ,

35.2.9 प्रवर्तक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना और इस संदर्भ में किये गये निवेशो की मूल लागत, जो समय समय पर भारतीय स्टेट बैंक के ऋण प्रदान करने की दर से अधिक नहीं हो, के भुगतान के लिए,

35.2.10 इस अधिपियम के प्रावधानों, परिनियामों, अध्यादेशों, विनियमों एवं नियमों के अनुपालन में विश्वविद्यालयों द्वारा लिए गए परामर्ष से संबंधित कार्यों पर किये व्यय के भुगतान हेतु ,

35.2.11 किसी संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को प्रायोजक निकाय के बदले में हित में दी गयी प्रबंधन सेवा सहित विशेष सेवा देने हेतु देय सेवा शुल्क तथा शाही

निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत ऐसे व्ययों अथवा संबंद्ध अन्य कार्यो के भुगतान हेतु ,

बशर्ते कि कुल आवर्ती/व्यय और उस वर्ष के लिए निर्धारित अनावर्ती व्यय जैसा शासी निकाय द्वारा निश्चित किया गया है, से अधिक व्यय बिना शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जा सकेगा।

लेखा, अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन

36. वार्षिक प्रतिवेदन:-

खेल विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें अन्य मामलों समेत, विश्वविद्यालय द्वारा उद्देष्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम शामिल होंगे और इस राज्य सरकार को सौंपा जाएगा।

37. अंकेक्षण एवं वार्षिक लेखा -

37.1 विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा परीक्षा (बैंलेस शीट सहित), वर्ष में कम-से-कम एक बार विश्वविद्यालय के माँग पर योजना -सह- वित्त विभाग द्वारा गठित अंकेक्षण दल द्वारा किया जायेगा।

37.2 वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

विश्वविद्यालय का समापन

38. विश्वविद्यालय का समापन:-

38.1 यदि प्रायोजक निकाय विधि सम्मत प्रावधानित तरीके से इसके गठन तथा निगमीकरण से स्वयं को भंग करना चाहे, तो इसकी सूचना कम से कम छह महीने पहले राज्य सरकार को देनी होगी।

38.2 राज्य सरकार ऐसी सूचना (भंग करने संबंधी) प्राप्त करने के पश्चात, विश्वविद्यालय के प्रशासन की आवश्यकता अनुसार, उपयुक्त व्यवस्था, प्रवर्तक निकाय के विघटन की तिथि से आखिरी सत्र के विद्यार्थियों (जो विश्वविद्यालय में नामांकित है) के पाठ्यक्रम पूरा होने तक करेगी तथा सरकार प्रवर्तक निकाय के स्थान पर विश्वविद्यालय के आगे का संचालन के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकेगी, जिसे प्रवर्तक निकाय के अधिकार, कर्तव्य और कार्य सौंपे जाएँगे, जैसा इस अधिनियम में वर्णित है।

39. विश्वविद्यालय का विघटन:-

39.1 प्रायोजक निकाय यदि विश्वविद्यालय को भंग करने की इच्छा व्यक्त करता है, तो उसे राज्य सरकार को एतत्-संबंधी सूचना निर्धारित तरीके से देनी होगी। राज्य सरकार यथोचित विचार के पश्चात् विहित तरीके से विश्वविद्यालय को विघटित कर सकती है।

बशर्ते कि खेल विश्वविद्यालय का विघटन तभी प्रभावी होगा जब तक कि नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र पाठ्यक्रम पूरा न कर लें और उन सबको डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा अथवा जिस तरह के प्रमाण हो, प्राप्त न हो जायें।

39.2 विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार विश्वविद्यालय का विघटन होने पर उसकी सभी सम्पतियाँ और देनदारियाँ प्रवर्तक निकाय में निहित हो जाएगी।

39.3 यदि उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार विश्वविद्यालय को विघटित करने का निर्णय लेती है, तो निर्धारित तरीके से समान उद्देश्य वाली अन्य निकायों को विश्वविद्यालय के विघटन तक उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत इसके शाही निकास की शक्तियों निहित कर सकेगी।

40. विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशिष्ट शक्तियाँ:-

40.1 राज्य सरकार यदि आश्वस्त होती है कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम, नियम के प्रावधानों, अध्यादेशों में से किसी का उल्लंघन किया है अथवा उसके द्वारा इस अधिनियम के तहत जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया है अथवा वित्तीय कुप्रबंधन या कुप्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उत्पन्न हो गई है, तो वह विश्वविद्यालय को कारण बता सूचना जारी कर पैंतालीस दिनों के भीतर इस आशय का उत्तर मांगेगी कि क्यों नहीं एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाय।

40.2 विश्वविद्यालय द्वारा उप-धारा (1) के अंतर्गत दी गयी सूचना पर दिये गये उत्तर से यदि राज्य सरकार संतुष्ट होती है कि इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के किसी भी प्रावधान का प्रथम दृष्टया उल्लंघन हुआ है अथवा इस अधिनियम के द्वारा दिये गये निर्देशों के प्रतिकूल वित्तीय कुप्रबंधन या कुप्रशासन है तो वह आवश्यक एवं उपयुक्त जाँच का आदेश देगी।

40.3 उपधारा (2) के तहत राज्य सरकार ऐसी किसी जाँच के उद्देश्य से जाँच अधिकारी या अधिकारियों को ऐसे आरोपों की जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु नियुक्ति करेगी।

40.4 उपधारा (4) के अंतर्गत नियुक्त जाँच अधिकारी या अधिकारियों के पास वही शक्तियाँ होगी, जो दीवानी अदालत द्वारा दीवानी वाद के मामलों की सुनवाई के दौरान दीवानी प्रक्रिया संहिता। 1908 में प्रदत्त हैं, यथा -

40.4.1 किसी व्यक्ति को बुलाने और उसकी उपस्थिति को अनिवार्य करने और शपथ के साथ उनका परीक्षण करना।

40.4.2 प्रमाण के लिये आवश्यक दस्तावेज या दूसरी अन्य सामग्री की खोज करने/प्रस्तुत करने का निर्देश देना;

40.4.3 किसी भी अदालत या कार्यालय से कोई दस्तावेज मंगाना।

40.5 उप धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के किसी प्रावधान, नियमों, परिनियमों अथवा अध्यादेषों का उल्लंघन किया है अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों का उल्लंघन किया है या वित्तीय कुप्रबधंन या कुप्रशासन की

स्थिति विश्वविद्यालय में उत्पन्न हो गयी है जिससे कि अकादमिक स्तर पर प्रश्न - चिन्ह खड़ा हो गया हो, तो सरकार एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है।

40.6 उपधारा (5) के अंतर्गत नियुक्त प्रशासक इस अधिनियम के तहत बनाये गये शासी निकाय अथवा प्रबंधन बोर्ड की सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं उसके सारे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और तब तक विश्वविद्यालय की गतिविधियों का संचालन करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता और उन्हें डिग्री या डिप्लोमा न दे दी जाएँ।

40.7 नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र का डिग्री या डिप्लोमा या जैसी स्थिति हो, प्रदान करने के बाद प्रशासक इस आशय की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा।

40.8 उपधारा (7) के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय को विघटित कर देगी और विश्वविद्यालय के विघटन के बाद इसकी सारी परिसम्पत्तियाँ और देनदारियाँ प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगी।

अन्यान्य

41. नियम बनाने के लिए सरकार की शक्तिः-

41.1 इस अधिनियम के उद्देश्यों के निर्वहन के लिये शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार नियम बना सकती है।

41.2 इस अनुच्छेद के तहत् बनाये गये सारे नियम 30 दिनों के अन्दर राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जायेगे या राज्य विधानमंडल उसी सत्र में या अगले सत्र किसी तरह का सुधार/संसोधन कर सकती है।

42. विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का समापनः-

इस अधिनियम अथवा परिनियम में किसी बात के होते हुए भी, अंगीभूत महाविद्यालयों अथवा खेल विश्वविद्यालय की अनुसूची में विनिदिष्ट संस्थाओं का कोई विद्यार्थी जो इस अधिनियम के लागू होने के तुरंत पहने अध्ययनरत था या जो उस विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में सम्मिलित होने का योग्य था, उसे उसे अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे विद्यार्थियों के शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षा की सुविधा संबद्ध विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुरूप निर्धारित तरीके से तथा निर्धारित समयावधि के लिए उपलब्ध करायी जायगी।

43. कठिनाइयों को दूर करने की शक्तिः-

43.1 यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान को लागू करने में कठिनाई उत्पन्न हो तो शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के ध्यान में रखते हुए कठिनाईयों को शीघ्र दूर करने के लिए प्रावधान करेगी।

बशर्ते इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्षो के बाद उप धारा (1) के अंतर्गत ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

43.2 इस धारा के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश को अविलंब राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची -ए

1. एकल प्रभाव क्षेत्र के लिए इनका मुख्य परिसर में कम से कम 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

2. शैक्षणिक भवन, जिसमें पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष प्रयोगशालाएँ होंगी, शिक्षकों के लिए पर्याप्त आवासीय व्यवस्था, अतिथि गृह, छात्रावास जिसे क्रमशः इतना बढ़ाया जाये कि विद्यार्थियों की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत का आवासन हो सके, का निर्माण करना होगा, ऐसा अस्तित्व में आने के तीन वर्षों के भीतर करना होगा। यदि खेल विश्वविद्यालय व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम कराता है तो उसके लिए वैधानिक निकाय द्वारा निर्धारित मानकों तथा मानदंडों को स्वीकार करना होगा। पूर्व को विघमान संस्थान को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मान के के अनुसार विस्तार, पुनरूद्वार एवं पुनर्रचना अवश्य करना होगा।

उद्देश्य एवं हेतु

सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य क्रीड़ा प्रतिभा से परिपूर्ण है एवं यहाँ के खिलाड़ियों के मेधा सम्वर्द्धन की आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान के ज्ञान को विकसित करने, इस क्षेत्र में शैक्षणिक एवं खेल प्रशिक्षण को उन्नत करने, खेल विज्ञान एवं शिक्षा के समस्त विधाओं में शोध, उच्च शिक्षा प्रदान करने, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाओं के साथ सहयोग करने हेतु एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की परम आवश्यकता है, ताकि तय शर्तो के साथ क्रीड़ा क्षेत्र में उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र एवं शिक्षावृत्ति आदि प्रदान किया जा सके एवं खेल ज्ञान संसाधन केन्द्र को स्थापित किया जा सके।

तदनुसार उक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु झारखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 का प्रावधान किया गया है, जिसे प्रख्यापित करना इस विधेयक का अभिष्ठ है।

(अमर कुमार बाउरी)
भार साधक सदस्य

झा०रा०मु०राँची (विधि) 23(A)--170--11-12-2017